

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री

निर्णय दिनांक :- 25/03/26

वादीगण की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर ए एस</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि निम्नअनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम की जाती है। -

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(क). वादी स. 1 दिनेश कुमार को प्राप्त कृषि भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के प.न.46/278 (15) के किला न.1/1/0.228, 1/2/0.025 (खाला), 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला), 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 हैक, नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख). वादी स. 2 दीपक कुमार, प्रतिवादी स. 3 रोशनी, प्रतिवादी स. 5 संजय कुमार को बहिस्सा बराबर प्राप्त कृषि भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के प.न.46/278 (10) के किला न.1/1/0.100 (नहरी), 1/2/0.038 (खाला), 1/3/0.025 (रास्ता), 1/4/0.090 (नहरी), 2/1/0.152 (नहरी), 2/3/0.051 (पश्चिमी दिशा), 9/0.228 (पश्चिमी दिशा), 10/0.253, 11/0.253, 12/0.228 (पश्चिमी दिशा), 19/0.228 (पश्चिम दिशा), 20/0.253, 21/0.253, 22/0.228 (पश्चिमी दिशा), 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228 (नहरी), 25/2/0.025 (खाला) इस प्रकार कुल 3.139 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि के बहिव खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें हैं।

तथा तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के प.न.46/278 (15) के किला नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025 (खाला), 4/1/0.228, 4/2/0.025 (खाला), 5/1/0.203, 5/2/0.050 (खाला), 6/1/0.228, 6/2/0.025 (खाला), 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17/1/0.228, 17/2/0.025, 18/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 (खाला) इस प्रकार कुल 3.795 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 6.934 हैक नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि के बहिव खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें हैं।

(ग). वादी स. 2 दीपक कुमार, वादी स. 1 दिनेश कुमार, प्रतिवादी स. 5 संजय कुमार को बहिस्सा बराबर प्राप्त कृषि भूमि :-तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के प. न. 46/277 (10) के किला न. 2/3/0.025 (पूर्वी दिशा), 9/0.025 (पूर्वी दिशा), 12/0.025 (पूर्वी दिशा), 19/0.025 (पूर्वी दिशा), 22/0.025 (पूर्वी दिशा) इस प्रकार कुल 0.125 हैक नहरी

(घ). वादी स. 2 दीपक कुमार, वादी स. 1 दिनेश कुमार, प्रतिवादी स. 2 राजेश कुमार को बहिस्सा बराबर प्राप्त कृषि भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के प.न. 45/279 के किला न.1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 8/2/0.126, 9/1/0.127 की कुल 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि के बहिव खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें हैं इस रकबा में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज शेष हिस्सा कमलजन किया जाता है।

(ड) प्रश्नगत रकबा से प्रतिवादी सं. 1, 4, 6 का नाम व हिस्सा कमलजन करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/3/2026 को  
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3  
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा